**MADHYA PRADESH STATE TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION**

**Paryatan Bhawan, Bhadbhada Road, Bhopal**

**Tel.: 0755-4027100, Fax: 0755-2771094**

Tender no. 11980 Date : 23.12.2013

# SHORT TERM TENDER NOTICE

Madhya Pradesh State Tourism Development Corporation invites sealed offers from professionals for preparing tableau on turnkey basis depicting the “MAHILA SASHAKTIKARN” undertaken by the State. The scope of work and other details are mentioned in the Tender Document. The tender cost is Rs. 1000/-, can be purchased from 24.12.2013 to 02.01.2014 - up to 2.00 p.m. during office hours on working days, can be submitted till 02.01.2014 –up to 3.00 p.m. and the bid will be opened on 02.01.2014 at 4.00 p.m.

Tender document can be downloaded from **www.mpstdc.com** (cost of tender will be payable through DD with offer) or purchased from our office.

**MANAGING DIRECTOR**

# मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम,
# पर्यटन भवन, भदभदा रोड, भोपाल

## ''तकनीकी निविदा प्रपत्र''

लिफाफा क्रमांक –1 हेतु

**विषयः–** **गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2014 को लाल परेड मैदान भोपाल में पर्यटन विभाग झॉकी की प्रस्तुति हेतु।**

1. निविदा क्रमांक :– ....................रसीद क्रमांक ......................दिनांक ...................................
2. निविदाकर्ता का नाम :– .......................................................................................................
3. निविदाकर्ता का पता :–......................................................................................................
4. निविदाकर्ता का पेन/टिन नम्बर :– ..........................................................................................
5. अनुभव प्रमाण पत्रों का विवरण :– ..........................................................................................
6. अन्य विवरण :– ......................................................................................................................

संलग्न :– निविदा की शर्ते एवं परिकल्पना।

आवेदक के हस्ताक्षर
(आवेदक का नाम)

# मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम,
# पर्यटन भवन, भदभदा रोड, भोपाल

## "वित्तीय प्रस्ताव निविद प्रपत्र"

लिफाफा क्रमांक –2 हेतु

**विषयः–** **गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2014 को लाल परेड मैदान भोपाल में पर्यटन विभाग झॉकी की प्रस्तुति हेतु।**

1. निविदा क्रमांक :– ....................रसीद क्रमांक ......................दिनांक ...................................
2. निविदाकर्ता का नाम :– ..................................................................................................
3. निविदाकर्ता का पता :–...................................................................................................
4. निविदाकर्ता का पेन/टिन नम्बर :– ......................................................................................
5. अनुभव प्रमाण पत्रों का विवरण :– .......................................................................................
6. अन्य विवरण :– ................................................................................................................

आवेदक के हस्ताक्षर
(आवेदक का नाम)

## (मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम)
## पर्यटन भवन, भदभदा रोड, भोपाल
## विभागीय झॉकी निर्माण संबंधी शर्ते – 2014

मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की ओर से गणतंत्र दिवस समारोह 2014 के उपलक्ष्य में भोपाल के लाल परेड मैदान पर प्रदर्शन हेतु निर्धारित विषय पर आधारित विभागीय चल झॉकी के सम्पूर्ण निर्माण, उसकी सजावट एवं प्रदर्शन के लिए झॉकी निर्माण से संबंधित शर्ते निम्न प्रकार है :–

1. निविदा प्रस्तुतकर्ता को अपनी निविदा के साथ प्रतिभूति के बतौर 20,000/–(बीस हजार रुपये) मात्र का अरेखांकित डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का ''प्रबन्ध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, भोपाल'' के हित में संलग्न करना अनिवार्य होगा। यह विज्ञापन प्रकाशन के बाद की तारीख का होना चाहिये। इसके बिना निविदा विचारार्थ स्वीकार नहीं की जावेगी। असफल निविदा प्रस्तुतकर्ताओं को उनकी प्रतिभूति राशि का ड्राफ्ट/चैक यथाशीघ्र वापस कर दिया जायेगा।
2. झॉकी निर्माण एवं सजावट का समस्त कार्य ठेके पर होगा अर्थात् झॉकी–निर्माण एवं प्रदर्शन के पश्चात् संबंधित झॉकी निर्माता अपना सामान वापस ले जायेगा। सामान की सुरक्षा के लिये विभाग की जिम्मेदारी नहीं होगी।
3. निविदा प्रस्तुतकर्ता के पास शासकीय विभाग अथवा उपक्रम की झॉकी के निर्माण का कम से कम तीन वर्षों का निरंतर अनुभव होना आवश्यक है। इसके प्रमाण स्वरुप व्यक्तिगत तीन वर्षों के अनुभव के प्रमाण पत्रों की वर्षवार सूची बनाकर फोटो प्रतियॉ अपनी निविदा के साथ प्रस्तुत करेंगे।
4. जिन कलाकारों/शिल्पकारों व्दारा झॉकी के निर्माण व उसकी सजावट का निर्देशन एवं मार्गदर्शन किया जायेगा, निविदा प्रस्तुतकर्ता अपनी निविदा के साथ उनका सहमति पत्र एवं उनके व्दारा इस तरह के कार्य के अनुभव बाबत् प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करेंगे।
5. निर्धारित समय के पश्चात् बिना प्रतिभूति राशि के अस्पष्ट, अपूर्ण अनसील्ड एवं काट–छॉट वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. कोई भी सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
7. किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने और सभी निविदाओं को अस्वीकृत करने के संपूर्ण अधिकार ''प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, भोपाल'' के पास सुरक्षित रहेंगे। इस मामले में प्रबंध निदेशक, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, भोपाल का निर्णय अंतिम एवं सर्वसंबंधित पक्षों के लिये मान्य एवं बंधनकारी होगा।
8. झॉकी के लिये उपयुक्त/सही ट्रेक्टर/ट्रॉली, चालक डीजल/पेट्रोल, बैट्री आदि का इंतजाम झॉकी निर्माता को स्वयं करना होगा। झॉकी निर्माणकर्ता ही जीवंत दृश्यों हेतु कलाकार/सहभागी व्यक्तियों की व्यवस्था करेगा। झॉकी प्रदर्शन की समाप्ति तक ट्रेक्टर–ट्राली को कार्यशील और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी निर्माता की होगी। झॉकी प्रदर्शन के प्रारम्भ से समाप्ति तक निर्माता अथवा सक्षम/जिम्मेदार प्रतिनिधि को आवश्यक साधनों और कारीगर सहित झॉकी के साथ–अनिवार्यतः रहना होगा।

9. झॉकी निर्माण हेतु ट्राली पर मजबूत निर्माण कर इतना एक्सटेन्शन करना होगा कि झॉकी के पूर्ण दृश्य स्पष्ट और सही ढंग से समाहित हो सकें।

10. झॉकी का निर्माण कार्य (सजावट एवं प्रदर्शन सहित) विभाग की अनुमोदित डिजाइन और कार्य–योजना के अनुसार लाल परेड मैदान के झॉकी निर्माण स्थल पर ही संस्कृति विभाग और निर्धारित तिथि तक हर दृष्टि से पूर्ण करना होगा, जिससे कि राज्य स्तरीय समिति व्दारा निरीक्षण किया जा सके।

11. विषय वस्तु को उभारने की दृष्टि से निर्माण/सजावट के दौरान झॉकी में कोई आंशिक परिवर्तन करना आवश्यक हुआ, तो उसके संबंध में कार्यालय के प्राधिकारी व्दारा यथा समय झॉकी निर्माता को मौखिक रुप से सूचित किया जायेगा। इस मामले में विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

12. झॉकी का कोई भाग विभाग की अपेक्षा/डिजाइन/कार्य योजना के अनुसार न होने पर निर्माता को सही और संतोषजनक नया निर्माण/सजावट कार्य अपने खर्च पर करना होगा। यह कार्य झॉकी निर्माण के मूल कार्य का ही अंग माना जावेगा।

13. झॉकी निर्माण एवं उसकी सजावट के उपयोग में लाये गये सामान की गुणवत्ता व मजबूती में किसी प्रकार की कमी होने पर झॉकी निर्माण हेतु विभाग व्दारा आदेश निरस्त कर झॉकी प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जायेगी एवं उसकी प्रतिभूति राशि राजसात कर उसे कोई भुगतान भी नहीं किया जायेगा।

14. झॉकी निर्माण के दौरान विभाग के सक्षम अधिकारी और मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम व्दारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

15. झॉकी निर्माण के लिये निर्माता को कोई अग्रिम राशि इस कार्यालय व्दारा नहीं दी जायेगी। झॉकी के निर्माण के लिये देय राशि का भुगतान संतोषजनक कार्य उपरांत तीन प्रतियों में देयक प्राप्त होने पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जावेगा।

16. विभागीय झॉकी निर्माण और उसकी सजावट के लिये प्राप्त निविदाओं पर निर्णय निम्नांकित क्रमानुसार मापदण्डो के आधार पर होगा :–
    (अ) झॉकी निर्माण से जुड़ने वाले कलाकारों/शिल्पकारों की प्रतिष्ठा एवं उनका पूर्वानुभव।
    (ब) निविदा में दर्शाई राशि।
    (स) निविदाकार को अपेक्षित जानकारियॉ दो लिफाफों में पृथक–पृथक देना होगी, जिसमें कंडिका क्रमांक 1,3,4,16(अ) की जानकारी एक लिफाफे में तथा वित्तीय प्रस्ताव की जानकारी दूसरे लिफाफे में प्रस्तुत करना होगी।

17. निविदा प्रस्तुतकर्ता को इन शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर ''सहमत हूँ'' शब्द अंकित करते हुए अपने प्रतिष्ठान की सील सहित हस्ताक्षर करके ये शर्तें अपनी निविदा के साथ संलग्न करना होगी अन्यथा यह माना जायेगा कि उन्हें उपरोक्त शर्ते स्वीकार नहीं हैं एवं निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

18. यह आवश्यक है कि निविदाकर्ता कम से कम दो पुरस्कार विगत 5 वर्षों में प्राप्त हो। जिसमें कम से कम प्रथम पुरस्कार हो। संबंधित झॉकी वाले विभाग का प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाये।

**प्रबन्ध निदेशक**
**मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम**

## 26 जनवरी 2014 के मुख्य समारोह की झाँकी के संबंध में संक्षिप्त नोट

मध्यप्रदेश पर्यटन द्वारा प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में विभिन्न सुविधाओं का विस्तार/विकास निरन्तर किया जाता रहा है। तथा इस क्षेत्र में अभिनव प्रयोग किये गये है। इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप मध्यप्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु पर्यटन विकास निगम ने ''महिला सशक्तिकरण'' को झाँकी के रूप में दर्शाया गया है।

- **रानी दुर्गावती समाधि स्थलः–** रानी दुर्गावती समाधि स्थल नरीनाला, जबलपुर को पर्यटन के रूप में विकसित किया गया।
- **पर्यटन सूचना हेतु स्वागत केन्द्रः–** पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों को दी जाने वाली सूचना हेतु स्वागत केन्द्र एवं पर्यटक सूचना केन्द्रों पर महिलाओं को रोजगार देकर सशक्त किया गया।
- **ग्रामीण पर्यटन**ः– पर्यटन के द्वारा ''महिला सशक्तिकरण'' हेतु ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया गया, जिसमें ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित कर उनको स्वायत्ता हेतु प्रेरित किया जा रहा है।
- **हुनर से रोजगार**ः– हुनर से रोजगार कार्यक्रम चलाकर पर्यटन विभाग द्वारा कई महिलाओं को प्रशिक्षित कर उनको रोजगार एवं स्व– रोजगार हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है।
- **पर्यटक सुरक्षा**ः– पर्यटकों की सुरक्षा हेतु पर्यटन केन्द्रों पर महिला पर्यटन पुलिस की व्यवस्था की गयी है।
- **महिला गाइडः–** पर्यटन निगम ने महिलाओं को सशक्त करने हेतु कई पर्यटक स्थलों पर महिला गाइड को प्रशिक्षित कर गाइड लाइसेन्स प्रदान किये जाकर उन्हें सशक्त बनाया गया है।

# झॉकी की परिकल्पना
# पर्यटन विभाग
# 26 जनवरी 2014
# ''**महिला सशक्तिकरण**''

गणतंत्र दिवस– 2014 के अवसर पर ''**महिला सशक्तिकरण**'' विषय पर आधारित झॉकी का प्रदर्शन किया जाना प्रस्तावित है। इस झॉकी में निम्नांकित को दर्शाया गया है।

1 रानी दुर्गावती समाधि स्थल

2 पर्यटन सूचना हेतु स्वागत केन्द्र

3 ग्रामीण पर्यटन

4 हुनर से रोजगार

5 पर्यटक सुरक्षा हेतु महिला पर्यटन पुलिस

6 महिला गाइड

उपरोक्त झॉकी के प्रदर्शन हेतु म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम की ओर से श्री आर.पी.चौहान महाप्रबंधक (मुख्यालय) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिनका दूरभाष क्रंमाक– 9424796700 है।

पर्यटन गाइड प्रशिक्षण
हुनर से रोजगार
ग्रामीण पर्यटन
M P Touri
HOTELS
मध्य प्रदेश पर्यटन


पर्यटन